

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11/06/2026

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध अंतर्गत राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु कुल बजटीय उपबंध की राशि 32,59,98,000/- (बत्तीस करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार रुपये मात्र) में से तत्काल 10,75,79,340/- (दस करोड़ पचहतर लाख उनासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 सम्प्रति क्रमशः बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2020 के रूप में प्रभावी है, जिसमें यह प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। इस क्रम में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित उक्त नियमावली, 2020 के तहत राज्य के मध्य विद्यालयों में, जहाँ 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 स्वीकृत पदों में से 2351 पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अद्यतन लगभग 2100 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इन कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु कुल उपबंधित राशि 32,59,98,000/- (बत्तीस करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार रुपये मात्र) में से तत्काल 10,75,79,340/- (दस करोड़ पचहतर लाख उनासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

3. उक्त के आलोक में राज्य के मध्य विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल बजटीय उपबंध की कुल राशि 32,59,98,000/- (बत्तीस करोड़ उनसठ लाख अठानवे हजार रुपये मात्र) में से तत्काल 10,75,79,340/- (दस करोड़ पचहतर लाख उनासी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के वेतनादि के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में निम्नवत प्रावधानित राशि में से राशि की निकासी की जाएगी :-

(i) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 31,35,000/- (इकतीस लाख पैंतीस हजार रुपये मात्र) राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0002 शारीरिक शिक्षा एवं

स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड-21-2202011910002, विषय शीर्ष 0002-31-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 65,34,000/- (पैंसठ लाख चौतीस हजार रुपये मात्र) राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष- 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0002 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड-21-2202011920002, विषय शीर्ष 0002-31-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा।

(iii) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 36,30,000/- (छत्तीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, माँग संख्या-21, उप शीर्ष-0002-शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड-21-2202011930002, विषय शीर्ष 0002-31-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा।

(iv) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 9,42,80,340/- (नौ करोड़ बयालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र) राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष- 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, माँग संख्या- 21, उप शीर्ष-0003 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड-21-2202011970003, विषय शीर्ष 0003-31-04 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के वेतन का भुगतान करेंगे एवं भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-9736 दिनांक-19.10.2011 की कंडिका-2 (क) के आलोक में 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित राशि का सामंजन महालेखाकार से कराकर ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जिला के कोषागार से CFMS के माध्यम से राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका 2 (घ) के अनुसार नियोजन इकाइयों से "पूर्व प्राप्ति रसीद" प्राप्त कर की जायेगी। जिले के लिए चयनित नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित नियोजन ईकाई को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निदेश के आलोक में किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार, बिहार को भेजा जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को भी मदवार व्यय विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

8. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतनादि भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा तथा राशि निकासी एवं व्यय वास्तविक भुगतेय राशि के आधार पर वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वी0 दिनांक-17.04.1998 के कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज के अंतर्गत एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9 राशि का विकलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

10. राशि का निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभागीय संकल्प 12888 दिनांक 03.12.2024 तथा 4443 दिनांक 14.06.2018 तथा समय-समय पर वित्त विभागीय संकल्प/परिपत्र/नियम का अनुपालन करना चाहेंगे।

11. उक्त मद की राशि की स्वीकृति पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या-7/वेतन-54/2022 के पृष्ठ सं०-127-130/टि० पर प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-7/वेतन-54/2022 के पृष्ठ संख्या-125/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

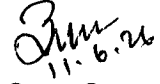
(अजय सतीश मंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :-7/वेतन-54/2022-40/

पटना, दिनांक:-11/06/2024

प्रतिलिपि :-सचिव, संसाधन, वित्त विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, सैदपुर, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/ बजट-सह-आय-व्यय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग, आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग।

क्रम संख्या	जिला का नाम	21-2202-01-191-0002	21-2202-01-192-0002	21-2202-01-193-0002	21-2202-01-197-0003
1	Araria	0	264297	0	1275290
2	Arwal	0	176198	0	318822
3	Aurangabad	0	442592	168837	4008053
4	Banka	0	176198	168837	2732763
5	Begusarai	348272	618091	0	2413941
6	Bhagalpur	0	264297	0	4326876
7	Bhojpur	557788	0	253256	2823856
8	Buxar	0	529992	84419	2049573
9	Darbhanga	348272	88099	0	1275290
10	East Champaran	69654	0	168837	1320836
11	Gayaji	208963	0	0	5602165
12	Gopalganj	0	88099	168837	2960494
13	Jamui	0	0	0	2322849
14	Jehanabad	0	88099	168837	1229744
15	Kaimur	0	0	0	3643685
16	Katihar	69654	0	84419	1366382
17	Khagaria	0	890078	0	7241823
18	Kishanganj	0	88099	0	1503020
19	Lakhisarai	0	0	0	774283
20	Madhepura	0	0	84419	3051586
21	Madhubani	0	0	0	2186211
22	Munger	139309	88099	0	1411928
23	Muzaffarpur	0	0	84419	4372422
24	Nalanda	0	176198	422093	3370408
25	Nawada	0	704791	0	2413941
26	Patna	278618	881688	0	3279316
27	Purnia	487581	0	0	136638
28	Rohtas	348272	264297	590930	4235783
29	Saharsa	208963	0	0	1320834
30	Samastipur	0	0	0	2368395
31	Saran	69654	0	506512	3552593
32	Sheikhpura	0	176195	0	455461
33	Sheohar	0	0	0	182184
34	Sitamarhi	0	0	0	1594111
35	Siwan	0	176197	337674	4190237
36	Supaul	0	0	0	1639658
37	Vaishali	0	264297	253255	2095119
38	West Champaram	0	88099	84419	3233770
Total		3135000	6534000	3630000	94280340

Rahul

(A)

Im